रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 अगस्त, 1992/10 श्रावण, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 27 जुलाई, 1992

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) लूज (कराड़).—क्योंकि उप-प्रधान तथा अन्य आठ पंचगण, ग्राम पंचायत कराड़, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू की शिकायत पर श्री ख्याली राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कराड़ ने जवाहर रोजगार योजना व अन्य अनुदानों तथा सभा निधि का भारी मात्रा में दुरुपयोग व छलहरण किया है, जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू को प्रारम्भिक जांच करने के लिए कहा गया था जिनकी रिपोर्ट के आधार पर उक्त श्री ख्याली राम को निम्न आरोपों का दोषी पाया गया:—

यह कि वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के तहत पंचायत को लगभग 62,000/- रुपये मिला है जिसमें से मु0 3200/- रुपये प्राथमिक पाठशाला कोठी के सलेट क्रय हेतु तथा 1800/- रुपये ढुलाई सलेट पर फर्जी व्यय डालकर निधि का दुरुपयोग किया हैं। जबकि आज तक कोई भी सलेट पाठशाला भवन में नहीं लगा। वर्ष 1989-90 में मु0 5200/- रुपये जवाहर रोजगार योजना के अधीन प्रधान के पास नकद बकाया में रखे और कुल मिलाकर 10,200/- रुपये नकद शेष को प्रधान द्वारा निजी प्रयोग में लाया है।

2. वर्ष 1990-91 के लिए जवाहर रोजगार योजना के अधीन मु0 38,933/- रुपये अनुदान के प्राप्त हुए। जिसमें से प्रधान उपरोक्त ने ग्राम पंचायत की बिना स्वीकृति के मु0 38,460/- रुपये मनमाने ढंग से

बैंक से निकाले और मनमाने ढंग से मजदूरों को अनियमित रूप से अदायगी की परन्तु निम्न कार्यों में कोई अदायगी न की :—

1.	चक्का तलाई सलाऊ	..	..	2,000/- रुपये
2.	रास्ता ओडीधार से जिमि	..	...	2,000/- रुपये
3.	चक्का तलाई मछानी	..	..	2,000/- रुपये

4. स्कूल भवन कोठी से निर्माण में भी अनियमितता हुई है जिसमें जवाहर रोजगार योजना से 46,000/- रुपये तथा खण्ड विकास अधिकारी से 31,134/- रुपये मिले हैं तथा उस पर क्रमश: 67,050.75 तथा 13,329/- रुपये बिना स्वीकृति के व्यय करके अनियमितता की है।

श्री नित्या राम तत्कालीन सचिव ने 21-2-90 को 5200/- रुपये पेशगी प्रधान दिखाई और 2-4-90 को 4400 रुपये वापसी पेशगी दिखाई जिसमें 1360/- रुपये का श्याम दास को चरान के दर्शाये जबकि श्याम दास के अनुसार उसने कोई चरान न किया एवं राशि का प्रधान द्वारा छलहरण पाया इस प्रकार वापसी पेशगी में 794/- रुपये प्रधान के कथनानुसार श्री नित्या राम के पास रहते हैं और 2520/- रुपये का दो क्विंटल सरिया तथा 20 किलो मेखें क्रय की दिखाई जबकि सचिव द्वारा 20 किलो सरिया और 20 किलो मेखें ही पहुंचाई है। इस प्रकार 1650 रुपये का गबन प्रतीत होता है।

(क) जिला स्थानीय योजना खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य विभाग से जो अनुदान प्राप्त होते हैं और विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है उसे पंचायत की बैठक में नहीं बताया जाता और मनमाने ढंग से खर्च किया जाता रहा है।

(ख) सदस्यों को पंचायत की बैठकों का एजेण्डा नहीं बताया जाता। सचिव द्वारा सदस्यों की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं और कार्यवाही रजिस्टर खाली रखा जाता है। बाद में प्रधान द्वारा अनियमित खर्चे लिखे जाते हैं जिन्हें आगामी बैठक में न रख कर कोई पुष्टि नहीं करवाई जाती।

प्रधान ने माह मार्च, 91 तथा अप्रैल 91 में फर्जी प्रस्ताव बना कर क्रमश: 15000/- रुपये तथा 4900/- रुपये निकाले जबकि कार्यवाही रजिस्टर में इनके निकालने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया एवं फरवरी, 91 से अप्रैल, 91 में कोई बैठक ही नहीं हुई है।

क्योंकि उपरोक्त आरोपों में पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 के अधीन कार्यालय आदेश संख्या पी०पी०एच०-एच०ए० (5) लूज (कराड़), दिनांक 20 नवम्बर 1991 के अनुसार उप-मण्डलाधिकारी (ना०) आनी को नियमित जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा इसके साथ ही श्री ख्याली राम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जाये परन्तु इसी मध्य पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न होने के फलस्वरूप यह कारण बताओ नोटिस निष्क्रिय हो गया।

और क्योंकि इस मामले में अभी जांच जारी है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि उपरोक्त श्री ख्याली राम जो पुन: प्रधान पद पर निर्वाचित हुए हैं के प्रधान पद पर बने रहने से इस जांच का निष्पक्ष न होने की शंका है, और पंचायत रिकार्ड के छलहरण का भी भय है।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रदत्त है, श्री ख्याली राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कराड़, विकास खण्ड आनी को यह कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर 15 दिनों के भीतर उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रेषित करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सरोज कुमार दास,
अतिरिक्त सचिव एवं निदेशक (पंचायत)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।